

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि डॉ० सिदरा फातिमा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाजीतपुर, त्रिवेणीगंज, सुपौल के विरुद्ध दिनांक-03.11.2022 से 29.05.2023 एवं दिनांक-04.08.2023 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त डॉ० सिदरा फातिमा के विरुद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अधीन डॉ० अलका सिन्हा, अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-9 को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. डॉ० सिदरा फातिमा से यह अपेक्षा की जाती है कि वें संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित हो।

4. इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की सहमति प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ0-08-19/2024(स्वा0).....104(9)...../ पटना, दिनांक : 30.1.25.....

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित डॉ० अलका सिन्हा, अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जाँच कर अधिगम उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डॉ० सिदरा फातिमा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाजीतपुर, त्रिवेणीगंज, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।।

2. अनुरोध है कि इसकी प्रति आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी को तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अपेन्द्र
30/01/2025

सरकार के अवर सचिव।